फर्द अहकाम

सदाकंवर बनाम धापूकंवर वगै0

...ा पत्र संख्या: 90/24

...क	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
...4.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वय का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियॉ पेश की है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम चक वाटिका, पटवार हल्का मोहनपुरा, भू0अ0नि0क्षे0 वाटिका में स्थित खसरा नम्बरान् 5, 6, 7 कुल किता 3 कुल रकबा 1.51 हक्टैयर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो, अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में दिनांक 29.05.2024 को पेश हो। उप–खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	तारीख जारी 3457-65 29/5/24
[illegible]/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित इन्तजार वाकिल हेतु पत्रावली दि0 11/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
11/7/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/8/24 को पेश हों।	
8/8/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/9/24 को पेश हों।	
27/9/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से [illegible] [illegible] के आधार पर [illegible] [illegible] [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	[illegible] 27/9/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:57:04 IST
Reason: SelfAttested